सं.36034/1/2014-स्था.(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 14 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सिविल क्षेत्र की नौकरियों में सिविल पदों/सेवाओं में शामिल होने से पूर्व विभिन्न परीक्षाओं/रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ।

इस विभाग के दिनांक 15.12.1979 की अधिसूचना सं. 39016/10/79-स्था(ग) जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 4.10.2012 की अधिसूचना सं. 36034/1/2006-स्था.(आरक्षण) द्वारा संशोधित किया गया था, के अनुसार पूर्व सैनिकों को सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर समूह 'ग' पदों की रिक्तियों का दस प्रतिशत तथा समूह 'क' पदों की रिक्तियों का बीस प्रतिशत आरक्षण का लाभ उपलब्ध है। आरक्षण का लाभ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों के सहायक कमांडेन्ट स्तर तक के सभी पदों की रिक्तियों को दस प्रतिशत तक भी दिया गया है।

2. इस विभाग के दिनांक 02.5.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/27/84-स्था.(एससीटी) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पूर्व सैनिक के रूप में पुनः नियोजन के लिए उसे दिए गए लाभ ले लेने के पश्चात् सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी में शामिल हो जाने पर पूर्व सैनिक की सरकार में पुनः नियोजन के प्रयोजनार्थ उसकी पूर्व सैनिक की हैसियत समाप्त हो जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि सिविल रोजगार में शामिल हो जाने पर, उसे एक सिविल कर्मचारी ही समझा जाएगा तथा तदनुसार, वह सामान्य प्रक्रिया में सिविल कर्मचारियों को देय आयु में छूट आदि जैसे लाभ का ही हकदार होगा। इस विभाग के दिनांक 7.11.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/21/87-स्था.(एससीटी) द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 2.5.1985 के अनुदेश उन पूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें निजी कंपनियों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कार्यालयों द्वारा आकस्मिक/संविदा/अस्थायी तदर्थ आधार पर पुनः नियोजित किया गया है अथवा पुनः नियोजित किया जाता है तथा जिन्हें ऐसी सेवा से उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।

3. एक पूर्व सैनिक सशस्त्र बलों से हटने अथवा सेवामुक्त होने के समय आमतौर पर एक से अधिक रिक्ति के लिए आवेदन करता है, परंतु यदि परिणाम/चयन के शीघ्र घोषित होने के कारण किसी सिविल रोजगार में कार्यभार संभाल लेता है तो वह बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिकों के लिए मिलने वाले आरक्षण के लाभ का हकदार नहीं होगा। इस विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपर्युक्त अनुदेश से पूर्व सैनिकों के बाद के उपयुक्त रोजगार के लिए सीधी भर्ती के मामलों में उनके अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

4. अतएव, मामले पर पूर्व सैनिक विभाग, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई पूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह बाद के किसी रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी पूर्व सैनिक को किसी नौकरी में कार्यभार संभालते ही संबंधित नियोक्ता को ऐसी विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पूर्व आवेदन किया था, के लिए आवेदन संबंधी तिथि-वार ब्योरे के बारे में स्व-घोषणा/शपथ-पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल ऐसी रिक्तियों के संबंध में ही उपलब्ध होगा जिन्हें सीधी भर्ती से भरा जाना है तथा जहां कहीं आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए लागू है।

5. उपर्युक्त आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं।

ह./-
(जी. श्रीनिवासन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:23093074

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. इस कार्यालय ज्ञापन के व्यापक प्रचार के लिए सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, आर.के. पुरम, वैस्ट ब्लॉक-V, नई दिल्ली-110066।
4. सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल भवन नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संबंध में।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/योजना आयोग।
9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जाफर मार्ग, नई दिल्ली।
10. विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त, सरोजनी हाऊस, 6, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001।
11. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
12. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
13. सूचना और सुविधा केन्द्र, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 20 प्रतियां।